UPRN040195042022

**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 03, कानपुर देहात।**

**यदुराज सिंह**---------बनाम-----------**मनोज कटियार आदि।**

**Warrant or Summons Criminal Case/ 14239/ 2022**

**थाना** - अकबरपुर, जिला कानपुर देहात।

**05. 10. 2024( लंच बाद)**

पत्रावली पेश। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवाद धारा - 200 दं०प्र०सं० के तहत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत है। पूर्व में परिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है इसके बावजूद परिवादी उपस्थित नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद को आगे चलाने हेतु इच्छुक नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, अतः परिवाद पत्र धारा- 203 दं०प्र०सं० के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रस्तुत परिवाद धारा- 203 दं०प्र०सं० के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

( **सौरभ कुमार गौतम** )
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 03,
रमाबाईनगर ( कानपुर देहात ) ।
ID NO- **UP**2617

Digitally signed by SAURABH KUMAR GAUTAM
Date: 2024.10.05 15:21:33 WEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court